न्यायालय अंचल अधिकारी,सिमरिया।

—:आदेश:—

मिथलेश प्रसाद सिंह पिता—स्व0 अवध प्रसाद सिंह ग्राम—सिमरिया

बनाम

दासो राम पिता—बढ़न राम ग्राम—सिमरिया कला

विविधवाद सं0—33/2020

केस प्रकार :— विविधवाद

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित
1	2	3
	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक मिथलेश सिंह, पिता—स्व0 अवध प्रसाद सिंह, ग्राम—सिमरिया कला से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ की गई है। आवेदक ने सिमरिया अंचल अन्तर्गत ग्राम—सिमरिया कला के खाता सं0—121, प्लॉट सं0—177 (यथा आवेदन में वर्णित) कुल रकबा—0.32 ए0 भूमि की दासो राम पिता बढ़न राम द्वारा कब्जा करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। मामले की अग्रेतर कार्यवाही एवं दोनों पक्षों को अपना दावा प्रमाणित करने हेतु नोटिस निर्गत की गई। तत्नुसार उभय पक्ष उपस्थित हुए। आवेदक की ओर से अपने पिता अवध प्रसाद सिंह के नाम से हुकुमनामा एवं लगान रसीद के आधार पर अपना दावा पेश किया गया है, दूसरी ओर प्रतिपक्षी दासो राम पिता बढ़न राम सर्वे खतियान गोपी कहार पिता भिखारी कहार के नाम से दर्ज खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है। कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम सिमरिया कला थाना सं0 150 के अन्तर्गत खाता सं0—121, प्लॉट सं0—177, रकवा—0.32 ए0 भूमि रैयती खाते की है। आवेदक के पिता अवध प्रसाद सिंह को भुतपूर्व जमीन्दार द्वारा उपरोक्त भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है, खाता सं0 121 प्लॉट सं0 177 कुल रकवा 0.32 ए0 भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 61/1 पर कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष दासो राम पिता बढ़न राम के नाम से खाता सं0 121, प्लॉट सं0 177, रकवा 0.32 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम नही है। प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा में उल्लेखित बिन्दुओं का विस्तृत अवलोकन तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों	

Scanned by CamScanner

से स्पष्ट होता है, कि द्वितीय पक्ष के नाम से खाता सं0 121, प्लॉट सं0 177, रकवा 0.32 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम नही है। तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावा से संबंधित ठोस एवं प्रमाणित कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहें।

उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रथम पक्ष का दावा को स्वीकृत की जाती है एवं द्वितीय पक्षों के दावा को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में आपना दावा पेश कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/7/2022

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

26/7/2022

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

Digitally signed by GOURAV KUMAR ROY
Date: 2024.12.30 10:47:48 +05:30
Location: 192.168.194.52

Scanned by CamScanner